

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक:पं0 25(2)चि.स्वा./2/2018
निदेशक,(जन स्वा.),
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,
राज0 जयपुर।


जयपुर,दिनांक 20-9-18

विषय:-उप स्वास्थ्य केन्द्र सुजाना, पंचायत समिति खण्डेला, जिला
सीकर के नाम परिवर्तन की स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि उप स्वास्थ्य केन्द्र सुजाना,
पंचायत समिति खण्डेला, जिला सीकर का नाम परिवर्तन कर, उप स्वास्थ्य केन्द्र
पीपलोदा का बास, पंचायत समिति खण्डेला, जिला सीकर किये जाने की एतद् द्वारा
स्वीकृति प्रदान की जाती है।

भवदीय,


शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक ,माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
2. विशिष्ट सहायक ,माननीय राज्य मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
3. निजी,सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
4. प्रधान महालेखाकार(सामाजिक एवं सामाजिक क्षेत्र लेखा परीक्षा) राज0 जयपुर।
5. जिला कलक्टर, सीकर।
6. शासन संयुक्त सचिव आयोजना-वित्त विभाग।
7. शासन उप सचिव वित्त (व्यय-1) विभाग।
8. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग।
9. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,राज0 जयपुर।
10. वित्तीय सलाहकार, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ राजस्थान जयपुर।
11. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जयपुर। जोन /
12. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सीकर।
13. एकल पत्रावली डी-612 दिनांक 31.05.18
14. रक्षित पत्रावली।


वरिष्ठ लेखाधिकारी

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर

क्रमांक: एफ-161/संशोधन/योजना/विकास/2018/ 1277 दिनांक:- 8.10.18

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. जिला कलक्टर, सीकर को उनके पत्र क्रमांक: विकास/2018/316 दिनांक 3.8.18 के क्रम में।
2. उपखण्ड अधिकारी, खण्डेला (सीकर) को उनके पत्र क्रमांक: विकास/2018/1705 दिनांक 1.8.18 के क्रम में।
3. मुख्य अभियंता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, एनएचएम, मुख्यालय।
4. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन जयपुर।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सीकर
6. ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, खण्डेला (सीकर)
7. तहसीलदार (भू0अ0), कार्यालय तहसीलदार खण्डेला (सीकर)
8. सरपंच, ग्राम पंचायत सुजाना पंचायत समिति खण्डेला जिला सीकर।
9. प्रभारी, सर्वररूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त स्वीकृति को संबंधित अधिकारियों एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करवाने का श्रम करावे।
10. आदेश/रक्षित पत्रावली।


संयुक्त निदेशक (योजना)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर